



दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र प्रमुख अभियन्ता अनुसचिवीय कार्मिकों की सूची

प्रमुख अभियन्ता अनुसचिवीय अधिष्ठान के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु कोई भी कार्मिक पात्र नहीं है।

अतः दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूचना शून्य है।




वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग
उत्तरखण्ड, देहरादून

(१००० दिनकर)
प्रमुख अभियन्ता